

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए पारित शुल्क का विवरण

1. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में एक आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क रु 10/- (रु दस मात्र) का एक बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम से पंजाब नेशनल बैंक, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार की शाखा पर देय हो या रु 10 (रु दस मात्र) नगद रूप में संस्थान के वित्त एवं लेखा कार्यालय में जमा करा कर रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा
2. लिखित में सूचना प्राप्त करने के लिए A4 या A3 साइज के कागज पर रु2 प्रति पृष्ठ
3. बड़े आकार के कागज पर प्रति के लिए वास्तविक शुल्क या कीमत मूल्य वसूल किया जाएगा
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके खंड) के लिए रु5 का शुल्क वसूल किया जाएगा
5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से (सी डी पर) सूचना प्राप्त करने के लिए रु50 प्रति सी डी वसूल किए जाएंगे
6. मुद्रित रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए उसका निर्धारित मूल्य या उसके किसी भाग की फोटो प्रति के लिए रुपए दो प्रति पृष्ठ
7. ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी

**Details of Fees to be charged for obtaining information
under Right to Information Act, 2005**

1. Application Fee

A person, who desires to obtain information under this Act, shall make a request in writing, accompanied by a bank draft of Rs.10/- (Rupees Ten only) in the name of Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar payable at the Punjab National Bank, Gurukula Kangri Branch or enclose the copy of the receipt for Rs.10/- (Rupees Ten only), by depositing the same in cash in the Finance & Accounts Office of the University towards the application fee, specifying the particulars of the information sought by him or her.

2. Rupees two (Rs.2/-) for each page (in A-4 or A-3 size paper) of the information required.
3. Actual charge or cost price of a copy in larger size paper.
4. For inspection of records, no fee for the first hour, and a fee of rupees five (Rs.5/-) for each subsequent hour (or fraction thereof).
5. For providing information on CD rupees fifty perCD.
6. For providing information in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.
7. No such fee shall be charged from the persons who are below the poverty line.